

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :— मुसप्र/खुली बिक्री/2017/1150

दिनांक :— 15/3/17

आदेश

अरावली विहार योजना भिवाड़ी, पुरानी कॉलोनी, सेक्टर-1, 4 व 7 योजना में अवशिष्ट आवासों को नीलामी द्वारा निस्तारित करने की स्वीकृति हेतु उप आवासन आयुक्त, वृत्-अलवर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय द्वारा अनुशंशा की है। नीलामी द्वारा निस्तारित किये जाने वाले आवासों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	आय वर्ग	आवास संख्या	संख्या
1	HIG	1/19, 1/50, 2/62, 4/24, 4/38, 4/39, 4/40, 4/64, 4/77, 5/50, 5/60, 5/71, 5/125, 5/138, 5/141, 5/148, 5/150, 5/161, 5/181, 5/192, 7/222	21
		Total	21

उक्त आवासों का निरतारण निम्न शर्तों पर किया जाना प्रस्तावित है :—

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लेट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लेट आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं हैं।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मंडल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निरतारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हो।
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेशों को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

लगातार 2

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, रा.आ.मंडल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु.)/प्रथम/द्वितीय/निदेशक (विधि), रा.आ.मंडल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—तृतीय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त—अलवर, राजस्थान आवासन मण्डल, अलवर।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड—भिवाड़ी, राजस्थान आवासन मण्डल, भिवाड़ी।
7. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. प्रभारी नागरीक सेवा केन्द्र, मुख्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक) राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेब—साईट पर अपलोड व सभी को ई—मेल करे।
10. रक्षित पत्रावली।


सम्पदा प्रबंधक (मु)